(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन

सदस्य

प्रकरण क्रमांक- निगरानी 711-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-01-2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर का अपील प्रकरण क्रमांक 600/अ-68/2012-13

....

भगवानदास बल्द चिन्नी पटेल
निवासी-ग्राम शांहगढ़
जिला-सागर(म.प्र.)

------------आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर महोदय, सागर (म.प्र.)

-----------अनावेदक

....

श्री लाखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्रीयोगेश पाराशर, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17.9.2018 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-01-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नंबर 21 तहसील शाहगढ़ द्वारा आवेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत ग्राम शाहगढ़ पटवारी हल्का नंबर 21 तहसील शाहगढ़ स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 920 रकबा 0.81 हैक्टेयर में से 30X50=1500 वर्गफुट बारगा लगाकर बेजा कब्जा किये जाने बावत प्रतिवेदन तहसीलदार शाहगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा आवेदक के विरूद्ध आदेश दिनांक 31-01-2012 से वादग्रस्त शासकीय भूमि से बेदखल करते हुये रूपये 1,500.00/- (एक हजार पॉच सौ रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

17/9/18

तहसीलदार के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बाण्डा के समक्ष अपील पेश की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 04-05-2013 को आदेश पारित कर तहसीलदार के आदेश को विधिनुकूल मानते हुये स्थिर रखा तथा अपील आधारहीन मानते हुये अस्वीकार की । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 600/अ-68/2012-13 में पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 27-01-2014 से सारहीन मानते हुये अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 27-01-2014 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी नंबर 21 शाहगढ़ द्वारा तहसीलदार शाहगढ़ के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदक भगवानदास तनय चिन्नी पटेल निवासी शाहगढ़ द्वारा शाहगढ़ स्थिति शासकीय भूमि खसरा नंबर 920 रकबा 0.81 हैक्टेयर में से 30X50=1500 वर्गफुट बारगा लगाकर बेजा कब्जा कर अतिक्रमण किया है । अतः कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया है, जिस पर तहसीलदार शाहगढ़ ने जॉच एवं स्थल निरीक्षण की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये उक्त वादग्रस्त शासकीय भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण पाते हुये दिनांक 31-01-2012 बेदखली का आदेश पारित किया तथा 1,500.00/- (एक हजार पॉच सौ रूपये मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के आदेश को विधिनुकूल मानते हुये अपील अस्वीकार की है और अपर आयुक्त सागर ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष को समवर्ती निष्कर्ष माना है तथा द्वितीय अपील अस्वीकार की है । चूँकि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष आवेदक को अपना पक्ष एवं साक्ष्य रखने के समुचित अवसर मिले है किन्तु आवेदक साक्ष्य पेश करने में असमर्थ रहा है, इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विस्तृत एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया है, जिसमें कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती ।

2/2

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

17/9/2018

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,